

## सं. अ. 2023-24 और ब.अ. 2024-25 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

विवरण 2ख

वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-25 के व्यय के बजट अनुमान में ₹ 2,75,282 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी गयी है। व्यय की मुख्य मदें, जिनमें भिन्नता आई है, को नीचे दर्शाया गया है:-

| ( ₹ करोड़ )   |                  |                 |                               |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------|
|   | सं.अ.<br>2023-24 | ब.अ.<br>2024-25 | अन्तर<br>कमी(-)/<br>वृद्धि(+) |
| 1 ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती                          | 1055427          | 1190440         | (+) 135013                    |
| 2 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के संबंध में पूंजी परिव्यय | 496              | 71148           | (+) 70652                     |
| 3 राज्य/संघ राज्य सरकारों को अनुदान                     | 590531           | 619298          | (+) 28767                     |
| 4 पेट्रोलियम के संबंध में पूंजी परिव्यय                 | 40               | 15408           | (+) 15368                     |
| 5 रक्षा सेवाओं के संबंध में पूंजी परिव्यय               | 157228           | 172000          | (+) 14772                     |
| 6 अन्य संचार सेवाओं के संबंध में पूंजी परिव्यय          | 69224            | 83440           | (+) 14216                     |
| 7 रेलवे के संबंध में पूंजी परिव्यय                      | 240000           | 252000          | (+) 12000                     |
| 8 पूर्वोत्तर क्षेत्र                                    | 66409            | 71181           | (+) 4772                      |
| 9 फसल खेती  | 137415           | 117775          | (-) 19640                     |
| 10 सड़क और पुल (पूंजी परिव्यय सहित)                     | 267147           | 262850          | (-) 4297                      |
| 11 अन्य व्यय  | 1906569          | 1910228         | (+) 3659                      |
| <b>कुल व्यय</b>   | <b>4490486</b>   | <b>4765768</b>  | <b>(+) 275282</b>             |

## के कारण

- बाजार ऋण, रोकड़ प्रबंधन बिल, ट्रेजरी बिल और ऋण में कमी के लिए समयपूर्व भुगतान प्रीमियम के कारण ब्याज के भुगतान में वृद्धि।
- नई योजनाओं के लिए केन्द्रीकृत प्रावधान किए गए।
- प्रारंभिक शिक्षा कोष, जीएसटी प्रतिपूरक निधि में अधिक अंतरण, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण एवं शहरी संघटकों के लिए अधिक प्रावधान।
- तेल बिपणन कंपनियों के लिए पूंजीगत सहायता हेतु आबंटन में वृद्धि।
- सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए अधिक आवश्यकता।
- बीएसएनएल में पूंजी निवेश के लिए अधिक प्रावधान किए गए।
- सॉवरेन ग्रीन फंड से वित्तपोषित योजनाओं, नई लाइनों का निर्माण, यात्री सुविधाओं, ट्रेफिक सुविधाओं, रालिंग स्टॉक और पट्टे पर दी गई आस्तियों के पूंजी संघटक के लिए भुगतान आदि के लिए अधिक आवश्यकता।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक केन्द्रीकृत प्रावधान किए गए।
- भारतीय तथा विदेशी उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी के लिए आवश्यकता आधारित आवंटन।
- कृषि अवसंरचना और विकास निधि के संबंध में कम अंतरण जिसकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क संबंधी कार्यों में अधिक निवेश करके आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की गई है।